



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6, 1973/वीच 16, 1894

No. 1]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6, 1973/ PAUSA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार में मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आवेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमंडल सचिवालय
(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1972

सा. का. नि. 1.—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा विनियम, 1969 के नियम 24 और पांचवीं अनुसूची के उप-परिचय (2) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ग्रैंड 2 सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा विनियमित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) ये विनियम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ग्रैंड 2 सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1972 कहें जा सकेंगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ग्रैंड 2 सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 में, विनियम 4 के उप, विनियम (10) में आयु से संबंधित शर्त (ख) में :—

(क) "35 वर्ष की आयु" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर "45 वर्ष की आयु" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) पहला परन्तुक छोड़ दिया जाएगा।

(ग) दूसरे परन्तुक में शब्द "और आगे" छोड़ दिया जाएगा।

[सं. 9/11/72-क. से. (2)]

एम. कं. वासुदेवन, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT
(Department of Personnel)

New Delhi, the 8th December, 1972

G.S.R. 1.—In pursuance of the provisions of rule 24 of, and sub-paragraph (2) of the Fifth Schedule to, the Central Secretariat Stenographer's Service Rules, 1969, the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Stenographers Service Grade II Limited Departmental Competitive Examination Regulations, 1971 namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Central Secretariat Stenographer Service (Grade II Limited Departmental Competitive Examination)

